


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## -:: कार्यालय आदेश ::-

इस कार्यालय के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा-2015) संस्कृत वेतन पे मैट्रिक्स लेवल-12 के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-15(1) एफ.डी./नियम/2017 दिनांक 09.12.17 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के प्राधानान्तर्गत 02 वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत स्थिर मानदेय पर/विद्यमान वेतनमान में नियुक्त किये गये। उक्त आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सिविल अपील संख्या 4695-4699/2018 रिशाल व अन्य बनाम आयोग व अन्य के अन्तर्गत एसएलपी संख्या 14306-14310/2017 में पारित आदेश दिनांक 03.05.2018 की अनुपालना में जारी किया जाता है। राज्य सरकार के स्वीकृति पत्रांक प.17(66)माध्य/शिक्षा-2/विप्र/2017 पार्ट जयपुर, दिनांक 03.10.2019 के अनुसरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में रिशफल परिणाम उपरान्त अचयनित अभ्यर्थियों के संलग्न सूची में अंकित प्राध्यापकों को कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को अवधि संतोषप्रद रूप में पूर्ण किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के नियम 05 (अप - अपप) एवं अनुसूची 1 में अंकित प्राधानानुसार उनके नाम के सामने कॉलम सं. 09 में अंकित दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स लेवल-12 एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की एवं नियमित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है एवं साथ ही उक्त तिथि (कॉलम संख्या 09 में अंकित) से इनका प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) संस्कृत के पद पर स्थाईकरण किया जाता है। उक्त अभ्यर्थियों की नई मेरिट के संदर्भ में राजस्थान लोक सेवा आयोग - अजमेर से जारी निर्देश के पश्चात आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे :-

क्र.सं.	पुराना मेरिट नं.	नया मेरिट नं.	वर्ग	नाम प्राध्यापक संस्कृत (श्री/श्रीमति/सुश्री)	पदस्थापन स्थान (राजमावि)	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	स्थाईकरण एवं नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	226	--	BC,WE	नीरजा नेहरा	आशाहोली, रायपुर, भीलवाड़ा	20-07-1994	1/7/2017	1/7/2019
2	161	--	GE,WE,RG	नीता अग्रवाल	गुदावली, कुम्हर, भरतपुर	27-11-1986	1/7/2017	1/7/2019
3	325	--	SC,WE,RG	गायत्री असवाल	दांतड़ा, बड़ा, कांठडी, भीलवाड़ा	2/9/1982	4/7/2017	4/7/2019
4	313	--	ST,WE	प्रियंका बाई मीना	चिनायता, करौली	14-10-1991	30-06-2017	30-06-2019
5	285	--	SC,DC,RG,NG	सुनील कुमार	बालिका बोरी, गढी, बांसवाड़ा	5/9/1986	03-07-2017 मध्याह्न पश्चात	4/7/2019

  
(नथमल डिडेल)


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक-शिविर/मा/संस्था/सी-1/संस्कृत/स्थाईकरण-पीएससी-15/2019-20/दिनांक- 02/12/2019  
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान
3. संबंधित जि.शि.अ. (मुख्यालय)-माध्यमिक
4. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान
5. संबंधित संस्था प्रधान
6. संबंधित कार्मिक
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
8. निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—:: कार्यालय-आदेश ::—

इस कार्यालय के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा-2015) रसायन विज्ञान एवं जीवविज्ञान वेतन पे मैट्रिक्स लेवल-12 के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-15(1) एफ.डी./नियम/2017 दिनांक 09.12.17 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के प्राधानान्तर्गत 02 वर्ष के परिधीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत स्थिर मानदेय पर/विद्यमान वेतनमान में नियुक्त किये गये। उक्त आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सिविल अपील संख्या 4695-4699/2018 रिशाल व अन्य बनाम आयोग व अन्य के अन्तर्गत एसरलपी संख्या 14306-14310/2017 में पारित आदेश दिनांक 03.05.2018 की अनुपालना में जारी किया जाता है। राज्य सरकार के स्वीकृति पत्रांक प. 17(66)माध्य/शिक्षा-2/विप/2017 पार्ट जयपुर, दिनांक 03.10.2019 के अनुसरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशो की अनुपालना में रिशफल परिणाम उपरान्त अचयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष परिधीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि संतोपप्रद रूप में पूर्ण किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 एच राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के नियम 05 (अप - अपप) एवं अनुसूची 1 में अंकित प्राधानानुसार उनके नाम के सामने कॉलम स 09 में अंकित दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स लेवल-12 एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की एच नियमित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है एवं साथ ही उक्त तिथि (कॉलम संख्या 09 में अंकित) से इनका प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) रसायन विज्ञान एवं जीवविज्ञान के संबंधित पद पर स्थाईकरण किया जाता है। उक्त अभ्यर्थियों की नई मेरिट के संदर्भ में राजस्थान लोक सेवा आयोग - अजमेर से जारी निर्देश के पश्चात आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे:-

क्र.सं.	वर्ग	पुराना मेरिट क्रमांक	नया मेरिट क्रमांक	विषय	प्राध्यापक नाम मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	स्थाईकरण एवं नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की तिथि
1	GE, RG	279	-	जीव विज्ञान	प्रदीप कुमार शर्मा, एस.वि.जी.मा.वि. सिकराय, दौसा	01.08.1989	10.07.2017	10.07.2019
2	BC, RG	391	-	जीव विज्ञान	अजय कुमार, रावतसर बाडमेर	07.11.1981	19.07.2017	19.07.2019
3	SC, WE	484	-	जीव विज्ञान	अनिता युनकर, बधेरा, अजमेर	05.03.1992	28.06.2017	28.06.2019
4	BC, RG	388	-	जीव विज्ञान	मनोहर लाल विशनोई, एस.वि.जी.मा.वि. बाप जोधपुर	10.08.1986	05.07.2017	05.07.2019
5	GE	285	-	जीव विज्ञान	विजय कुमार शर्मा, कल्याणपुर बाडमेर	21.12.1982	04.07.2017	04.07.2019
6	GE, WE	380	-	रसायन विज्ञान	सरोज कुमारी खालिया, इन्दोखा नांवा, नागौर	10.07.1988	17.07.2017	17.07.2019
7	GE, WE	330	-	रसायन विज्ञान	नेहा सारस्वत, खाबरा रेलमगरा, राजसमन्द	18.07.1986	17.07.2017	17.07.2019
8	BC, WE, RG	545	-	रसायन विज्ञान	चन्द्रकला, करनपुरा भादरा, हनुमानगढ	18.12.1989	18.07.2017	18.07.2019
9	GE, RG	399	-	रसायन विज्ञान	अजय सिंह सालकी, हदा, श्रीकोलायत बीकानेर	31.05.1983	19.07.2017	19.07.2019
10	BC, RG	555	-	रसायन विज्ञान	असलम परवेज, मिश्रौली, भवानीमण्डी, झालावाड	02.07.1987	19.07.2017	19.07.2019
11	BC	556	-	रसायन विज्ञान	सुभय सिंह पलस्तानिया, लीलसर, बाडमेर	02.08.1988	17.07.2017	17.07.2019

(नथमल डिडेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/माध्य/सस्था/सी-4/प्रो.टे/रजीग/मेरिट स्थाईकरण/2015/2018-19 दिनांक-02-12-19  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ।
- 2 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
- 3 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संबंधित संभाग।
- 4 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
- 5 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक/ संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 6 अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/ओएसी प्रभाग।
- 7 सिस्टम एनालिस्ट कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत ।
- 8 संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक।
- 9 निजी एवं रक्षित पत्रावली।

(संयुक्त निदेशक (कार्मिक))

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर